राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2135/2024

घनश्याम सिंह गुर्जर –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये एसीएस/प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक सह आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा कौंसिल, डॉ. एस राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, दौसा, जिला दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.07.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सोरभ पुरोहित, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति पूर्व में लोक जुम्बिस कार्मिक के रूप में हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी को सर्व शिक्षा अभियान योजना में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया। आदेश दिनांक 14.12.2018 के द्वारा जिन कार्मिकों से परिवेदना प्राप्त हुई थी, उनकी परिवेदना निस्तारित करते हुए कार्मिकों को पद विरूद्ध कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया, जिसमें अपीलार्थी को पूर्व के पदस्थापन जिला डूंगरपुर को परिवर्तित करते हुए जिला दौसा में आदेश दिनांक 14.12.2018 के द्वारा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 25.06.2024 के द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में पृथक से आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को पुनः जिला डूंगरपुर में कार्य व्यवस्थार्थ लगाये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को संविदा के आधार पर लगाया गया था। वर्तमान में भी अनुबन्ध करार समय समय पर नवीनीकरण किया गया। वर्तमान में अपीलार्थी संविदा के आधार पर दौसा में कार्यरत है। अपीलार्थी को केवल मात्र परेशान करने के उद्देश्य से दौसा जिले से डूंगरपुर जिले में पदस्थापित किया गया, जबकि संविदाकर्मी का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क

रहा है कि Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के नियम अपीलार्थी पर लागू होते हैं। उक्त नियम–2022 के नियम–16 के अनुसार संविदाकर्मी का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं किया जा सकता है। उक्त नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया हैं।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.09.1997 के द्वारा असीस्टेन्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर सविदा आधारित पद पर बिछीवाड़ा, जिला–डूंगरपुर में लोक जम्बिश परियोजना में नियुक्त किया गया था। जिसके उपरान्त अपीलार्थी की सेवाऐं आदेश दिनांक 27.03.2001 के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें पारित आदेश के अनुक्रम में अपीलार्थी को कनिष्ठ विशेषज्ञ की श्रेणी के पद पर ब्लॉक बिछीवाड़ा, जिला–डूंगरपुर में आदेश दिनांक 21.12.2017 द्वारा पदस्थापित किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा दी गई परिवेदना के अनुक्रम में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.12.2018 के द्वारा पद विरूद्ध कार्यव्यवस्थार्थ डूंगरपुर से ब्लॉक बान्दीकुई जिला दौसा में लगाया गया। अपीलार्थी संविदा आधारित पद पर जिला डूंगरपुर में नियुक्त हुआ था तथा अपीलार्थी की परिवेदना पर उसे पद विरूद्ध कार्यव्यवस्थार्थ जिला दौसा में पदस्थापित किया गया। संविदा पर कार्यरत कार्मिको का अनुबन्ध दिनांक 01/07 से अगले साल दिनांक 30/06 तक होता है। चूंकि अपीलार्थी संविदा पर कार्यरत है तथा उसकी सेवाओं की आवश्यकता प्रत्यर्थी विभाग को डूंगरपुर में है। अतः अपीलार्थी को पुनः उसके मूल पदस्थापन के जिले डूंगरपुर में आलोच्य आदेश द्वारा पदस्थापित किया गया, जिसमें कोई अनियमित्ता नही है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसका पदस्थापन जिला डूंगरपुर से जिला दौसा में किया था जिससे यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी को संविदा कार्मिको को एक जिले से दूसरे जिले में पदस्थापित करने का अधिकार है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. हमारे समक्ष यह तर्क प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी का आरम्भ में पदस्थापन जिला डूंगरपुर में वर्ष 1997 में लोक जुम्बिस कार्मिक के रूप में हुआ था। इसके पश्चात अपीलार्थी की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थी। बाद में अपीलार्थी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कनिष्ठ विशेषज्ञ की

श्रेणी के पद पर डूंगरपुर जिले में पुनः वर्ष 2017 में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.12.2018 के द्वारा पद विरूद्ध कार्य व्यवस्थार्थ डूंगरपुर जिले से दौसा जिले में लगाया गया है। अपीलार्थी वर्ष 2018 से दौसा जिले में कार्यरत है। यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी की संविदा का समय समय पर जिला दौसा में नवीनीकरण किया गया हैं। वर्तमान में अपीलार्थी का अनुबन्ध दौसा जिले के लिये हुआ है। अपीलार्थी वर्तमान में चूंकि दौसा जिले में कार्यरत है और दौसा जिले में ही अपीलार्थी की संविदा को नवीनीकृत किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 (नियम–2022) लागू किये हैं। उक्त नियमों के नियम–3 का प्रावधान निम्न प्रकार से हैं :–

> " **3. Scope and application.-** These rules shall apply to posts created by the Administrative Department with the concurrence of the Finance Department for implementation of any project or scheme and to person appointed on such posts in accordance with the provisions of these rules or person working on the post so created on contract basis on the date of commencement of these rules provided his/her selection was made after inviting applications through public advertisement."

5. अतः उपरोक्त नियम 3 के अनुसार जो व्यक्ति पहले से ही अनुबन्ध पर कार्यरत है, उन पर भी नियम–2022 लागू किये गये हैं। ऐसे में हम पाते हैं कि अपीलार्थी पर उक्त नियम–2022 के प्रावधान लागू होते हैं। उक्त नियम–2022 के नियम–16 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः–

> " **16. General conditions, ethics and observance.-** The person hired on contract shall,-
>
> (i) observe general satisfactory conduct and ethics at the level expected under orders / rules and instructions issued by higher authorities;
>
> (ii) not be transferred from one place to any other place;
>
> (iii) not accept any full time / part time employment or engage in any other (work, business occupation or pursue any study course without prior approval of the Government;
>
> (iv) comply the instructions regarding uniform/livery, if issued, for which an amount fixed by the Administrative Department with the concurrence of the Finance Department shall be paid."

6. उपरोक्त नियम 16 से स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों को संविदा के आधार पर रखा गया है, उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। वर्तमान में अपीलार्थी चूंकि संविदा के आधार पर दौसा जिले में कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी को दौसा जिले से डूंगरपुर जिले में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 25.06.2024 (अनुलग्नक–1) को हम उपरोक्त नियम–2022 के प्रावधानों के विपरीत होना पाते है। परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 25.06.2024 अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)